संख्या-195/2025/1981/सैंतीस-2-2025-1(31)/2015टीसी

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 दिसम्बर, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1086/प0-2/17(13)/जो.प्र./2025-26, दिनांक-28.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत योजनान्तर्गत निर्गत रू0-5.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-121/2025/1050/सैंतीस-2-2025/001-1(31)/2015टीसी, दिनांक-07.07.2025 में अंकित लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.25/रा.50/ला.25-के.) को संशोधित करते हुए लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.51/रा.34/ला.15-के.+रा.) किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप/शुद्धिपत्र संख्या बी-1-891-/दस-2025-12(2)/2025, दिनांक-02.09.2025 द्वारा लेखाशीर्षक 0102-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.25/रा.50/ला.25-के.) को संशोधित करते हुए 0102-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.51/रा.34/ला.15-के.+रा.) कर दिया गया है। अतएव शासनादेश संख्या-121/2025/1050/सैंतीस-2-2025/001-1(31)/2015टीसी, दिनांक-07.07.2025 में अंकित लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.25/रा.50/ला.25-के.) के स्थान पर लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.51/रा.34/ला.15-के.+रा.) पढ़ा जाये।

2- शासनादेश दिनांक-07.07.2025 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पु0सं0-195/2025/1981(1)/सैंतीस-2-2025-1(31)/2015टीसी, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।